उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-15/10/94-का-4-2006
लखनऊ :: दिनांक :: 06 जुलाई, 2006

कार्यालय-ज्ञाप

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, उर्दू अनुवादक-सह-वरिष्ठ लिपिक के 1012 अस्थायी पदों (प्रत्येक जनपद हेतु, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के स्वीकृत पदों की संख्या के 20 प्रतिशत) वेतनमान रूपये-4000-100-6000, उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के उतने ही पदों को आस्थगित रखते हुए, दिनांक 28 फरवरी, 2007 तक के लिए, यदि इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जांय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो उक्त पद हेतु अनुमन्य हैं, देय होंगे।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2006-2007 के संबंधित विभाग के आय-व्ययक में प्राविधानित सुसंगत मदों/ इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4. उपुर्यक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि इस संबंध में होने वाला व्यय, लेखानुदान एवं संबंधित विनियोग अधिनियम द्वारा पूरित हो और अनुवर्ती अवधि के लिए जो लेखानुदान के अन्तर्गत नहीं है, के लिए धन वित्तीय वर्ष-2006-2007 के मूल आय-व्ययक तथा संबंधित विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1681/दस/2006 दिनांक 30 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या-15/10/94(1)का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2

आज्ञा से,
(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।